*अत्यन्त महत्वपूर्ण/आज ही जारी हो*

*राजस्थान सरकार*
*ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग*
*(पंचायती राज विभाग)*

क्र0एफ4(6)पीसानियम/विधि/पंरा/2010/495 जयपुर,दि0 27-6-16

:::: परिपत्र ::::

**विषयः– अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Arera) की पंचायतों में ग्राम सभा के आयोजन बाबत ।**

राज्य में राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) नियम, 2011 (PESA Riules), 2011 दिनांक 1.11.2011 को अधिसूचना जारी कर लागू किये जा चुके हैं ।

उक्त नियमों के नियम 2(1)(ii) में ग्राम सभा को इस तरह से परिभाषित किया गया है :– ''**2. निर्वचन.**– (1) इन नियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

**(ii) ''ग्राम सभा'' से समस्त व्यक्तियों, जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित है, को समाविष्ट करने वाली कोई ग्राम सभा अभिप्रेत है ।''**

अर्थात अनुसूचित क्षेत्र के लिए ग्राम सभा प्रत्येक ग्राम स्तर पर आयोजित की जायेगी न कि ग्राम पंचायत स्तर पर ।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि अधिसूचित क्षेत्र की अनेक पंचायतों में उपरोक्त प्रावधान के अनुसार ग्राम सभाओं का आयोजन नहीं किया जा रहा है । अतः संबंधित से अपेक्षा है कि उक्त प्रावधानों की पालना करते हुए अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम सभाओं का आयोजन ग्राम स्तर पर ही किया जाना सुनिश्चित करायें ।

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर राजस्थान।
2. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
3. जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा/डूंगरपुर/प्रतापगढ़/सिरोही/उदयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बांसवाड़ा/डूंगरपुर/प्रतापगढ़/सिरोही/उदयपुर।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जिला बांसवाड़ा (सम्पूर्ण)/डूंगरपुर (सम्पूर्ण)/अरनोद, प्रतापगढ, पीपलखूंट, धरियावद (प्रतापगढ़) /आबूरोड़ (सिरोही)/अनुसूचित क्षेत्र की समस्त पंचायत समितियां (उदयपुर)।
6. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त शासन सचिव(विधि)